**संख्याः42/2020-1222/58-2020-60/2006**

प्रेषक,

संदीप कौर,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

उद्यान अनुभाग लखनऊ दिनांकः 29 जुलाई,2020

विषयः प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के उपघटक पर ड्राप मोर क्राप (माइक्रोइरीगेशन) के अन्तर्गत निर्माता फर्मों के पंजीकरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-108/एम.आई.-45/टी0सी0/2020-21 दिनांक 21.07.2020 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार के आपरेशनल गाइड लाइन-2017 के प्रस्तर-14 में वर्णित दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजनान्तर्गत कृषि उत्पादन आयुक्त/अध्यक्ष अन्तर्विभागीय कार्यकारी दल एवं मुख्य सचिव/अध्यक्ष राज्य स्तरीय स्वीकृत समिति (एस.एल.एस.सी.) के प्रदत्त अनुमोदन दिनांक 26.06.2020 के आलोक में निम्नलिखित 19 माइक्रोइरीगेशन निर्माता फर्मों का पंजीकरण आगामी 5 वर्षों तक की अवधि के लिए निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती हैः-

| क्र.सं. | निर्माता फर्म | पंजीकरण हेतु कम्पोनेन्ट |
|---|---|---|
| (अ) | नवीन निर्माता फर्मों का पंजीकरणः- | |
| 1 | मे0 ब्रेना इरीगशन प्रा0लि0, सुरेन्द्र नगर, गुजरात। | इन लाइन ड्रिप, पोर्टेबल, मिनी/माइक्रो/सेमी परमानेन्ट एवं रेनगन स्प्रिंकलर |
| 2 | मे0 कृति इण्डस्ट्रीज (इण्डिया) लि0,इंदौर। | पोर्टेबल, मिनी/माइक्रो/सेमीपरमानेन्ट एवं रेनगन स्प्रिंकलर |
| 3 | मे0 रूंगटा इरीगेशन लि0, नई दिल्ली। | आन लाइन/इन लाइन ड्रिप, पोर्टेबल, मिनी/माइक्रो /सेमी परमानेन्ट एवं रेनगन स्प्रिंकलर |
| 4 | मे0 जमीदार पाइप इण्डस्ट्रीज, अलवर, राजस्थान। | पोर्टेबल एवं रेनगन स्प्रिंकलर |
| 5 | मे0. जमना इरीगेशन प्रा0लि0, जयपुर, राजस्थान। | पोर्टेबल एवं रेनगन स्प्रिंकलर |
| 6 | मे0 आर.एन. इण्डस्ट्रीज, जयपुर, राजस्थान। | पोर्टेबल एवं रेनगन स्प्रिंकलर |
| 7 | मे0 रिनाठन इरीगेशन सिस्टम्स लि0, जूनागढ़, गुजरात। | इन लाइन ड्रिप, पोर्टेबल, मिनी/माइक्रो/सेमी परमानेन्ट एवं रेनगन स्प्रिंकलर |
| 8 | मे0 नर्मदा पाइप्स, राजकोट, गुजरात। | आन लाइन/इन लाइन ड्रिप, पोर्टेबल, मिनी/माइक्रो/सेमीपरमानेन्ट एवं रेनगन स्प्रिंकलर |
| 9 | मे0अम्बिका पालीमर्स,जयपुर, राजस्थान। | पोर्टेबल एवं रेनगन स्प्रिंकलर |
| 10 | मे0 नीर इरीगेशन प्रा0 लि0, मुंबई, महाराष्ट्र। | आन लाइन/इन लाइन ड्रिप, पोर्टेबल, मिनी/माइक्रो/ सेमीपरमानेन्ट एवं रेनगन स्प्रिंकलर |

http://shasanadesh.up.gov.in

| | | |
|---|---|---|
| 11 | मे0 राजस्थान इन्जीनियर्स एण्ड कान्टैक्टर्स इण्टरप्राइजेज, सीकर, राजस्थान। | आन लाइन/ इन लाइन ड्रिप, पोर्टेबल, मिनी/माइक्रो / सेमीपरमानेन्ट एवं रेनगन स्प्रिंकलर |
| 12 | मे0 भूमि पालीमर्स प्रा0लि0, राजकोट, गुजरात। | इन लाइन ड्रिप,पोर्टेबल, मिनी/माइक्रो/सेमी परमानेन्ट एवं रेनगन स्प्रिंकलर |
| 13 | मे0 बागवान विनिमय प्रा0लि0, जयपुर राजस्थान। | इन लाइन ड्रिप, पोर्टेबल,मिनी/माइक्रो/सेमी परमानेन्ट स्प्रिंकलर |
| 14 | मे0 प्रांजल इण्डस्ट्रीज, रायपुर। | आन लाइन/ इन लाइन ड्रिप, पोर्टेबल, मिनी/ माइक्रो/सेमीपरमानेन्ट एवं रेनगन स्प्रिंकलर |
| 15 | मे0 स्वेता इण्टरप्राइजेज, बीरगांव, छत्तीसगढ़। | आन लाइन/ इन लाइन ड्रिप, पोर्टेबल, मिनी/माइक्रो /सेमीपरमानेन्ट एवं रेनगन स्प्रिंकलर |
| 16 | मे0 इरीलिंक ड्रिप इरीगशन इण्डस्ट्रीज, सिरही, राजस्थान। | आन लाइन/ इन लाइन ड्रिप, पोर्टेबल, मिनी/माइक्रो /सेमीपरमानेन्ट एवं रेनगन स्प्रिंकलर |
| 17 | मे0 स्पार्क इरीगेशन प्रा0लि0, जलगांव, महाराष्ट्र। | आन लाइन/ इन लाइन ड्रिप, पोर्टेबल, मिनी/माइक्रो /सेमीपरमानेन्ट एवं रेनगन स्प्रिंकलर |
| 18 | मे0 कंसल इरीगेशन, जयपुर, राजस्थान। | पोर्टेबल, मिनी/माइक्रो/सेमीपरमानेन्ट एवं रेनगन स्प्रिंकलर |
| 19 | मे0 स्वर्णभूमि इण्डस्ट्रीज, धार, मध्य प्रदेश। | आन लाइन/इन लाइन ड्रिप, पोर्टेबल, मिनी/माइक्रो /सेमीपरमानेन्ट एवं रेनगन स्प्रिंकलर |

3. उक्त के अतिरिक्त मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजनान्तर्गत शासनादेश सं0-2907/58-2017-60/2006, दिनांक 04.10.2017 तथा शासनादेश सं0-6/2019-528/58-2019-60/2006, दिनांक 08.03.2019 द्वारा क्रमशः 28 एवं 22 निर्माता फर्मों के 05 वर्ष के लिए किये गये पंजीकरण में से निम्नलिखित 2 निर्माता फर्मों को अतिरिक्त कम्पोनेंट सम्मिलित किये जाने तथा शासनादेश सं0-37/2018-1467/58-2018-60/2006, दिनांक 11.06.2018 द्वारा पंजीकृत निर्माता फर्म में से एक निर्माता फर्म मे0 ई.पी.सी. इण्डस्ट्रीज लि0, नासिक का नाम परिवर्तन किये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया जाता है:-

| क्र.सं. | पंजीकृत निर्माता फर्म का नाम | पूर्व में स्वीकृत कम्पोनेंट्स | सम्मिलित किये जाने वाले अतिरिक्त कम्पोनेंट |
|---|---|---|---|
| 1. | मे0 वाल्यूमिनस एनर्जी इण्डिया प्रा0लि0, जयपुर। | पोर्टेबल स्प्रिंकलर, मिनी/माइक्रो/सेमी परमानेन्ट स्प्रिंकलर एवं लार्ज वाल्यूम (रेनगन) | इन लाइन ड्रिप |
| 2. | मे0 देव पालीमर्स, जयपुर, राजस्थान। | पोर्टेबलएवं लार्ज वाल्यूम (रेनगन) स्प्रिंकलर | इन लाइन ड्रिप, मिनी/ माइक्रो/सेमी परमानेन्ट स्प्रिंकलर |
| पूर्व पंजीकृत निर्माता फर्म का नाम परिवर्तन | | | |
| 1 | मे0 ई.पी.सी. इण्डस्ट्रीज लि0, नासिक। | मे0 महिन्द्रा ई0पी0सी0 इरीगेशन लि0, नासिक। | |

4. प्रस्तर-2 एवं 3 में उल्लिखित फर्मों का पंजीकरण एवं अतिरिक्त कम्पोनेंट 05 वर्षों के लिए सम्मिलित करने की सहमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि निर्माता फर्म मैनुफैक्चरर्स हो, ट्रेडर्स नहीं।

5. निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण द्वारा यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि भारत सरकार द्वारा जारी माइक्रोइरीगेशन दिशा-निर्देश में उल्लिखित सभी पहलुओं को निर्माता फर्में सुनिश्चित करती है। उक्त फर्मों से वांछित सभी औपचारिकतायें पूर्ण कराने का उत्तरदायित्व निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण एवं सम्बन्धित जनपदीय अधिकारी का होगा।

http://shasanadesh.up.gov.in

6. उक्त फर्मों द्वारा कराये गये कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित की जाये। इन फर्मों द्वारा सम्पादित कार्य एवं गुणवत्ता संतोषजनक न पाये जाने पर पंजीकरण किसी भी समय समाप्त कर दिया जायेगा।

7. उक्त फर्मों का पंजीकरण भारत सरकार द्वारा संचालित माइक्रोइरीगेशन योजना के नियमों/दिशा-निर्देशों के अधीन किया जायेगा।

8. यदि फर्मों के चयन में कोई प्रतिकूल तथ्य आते हैं तो उसके लिए निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण उत्तरदायी होंगे।

कृपया उपरोक्तानुसार अग्रेतर कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

भवदीया,

(संदीप कौर)
विशेष सचिव

**संख्या- 42/2020-1222(1)/58-2020 तद्दिनांक-**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2- निजी सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
3- कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
4- कृषि अनुभाग-5, उत्तर प्रदेश शासन।
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(इन्दुबाला कटियार)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in